

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 04, सोमवार, शके 1948- मई 25, 2026 Jyaistha 04, Monday, Saka 1948- May 25, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज़ायें।

(अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं राजस्थान नियम 21(1) के अधीन घोषणा)

प्रपत्र -9

भूमि अवाप्ति की घोषणा

जयपुर, अप्रैल 24, 2026

RajKaj Ref No.: 21785353 :-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 19 (1) एवं नियम 21 (1)के अंतर्गत राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले के लूनकरणसर तहसील में Constt of Two Lane (RUB) in Lunkaransar of Railway Chainage 245/5-6 Bikaner के निर्माण कार्य हेतु ग्राम लूनकरणसर तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर मे कुल 0.1402 हैक्टेयर भूमि आवश्यक हैं।

अतः घोषणा की जाती हैं कि मानक माप के अनुसार कुल 0.1402 हैक्टेयर भूमि के खंडों का उपरोक्त परियोजना के लिए ग्राम लूनकरणसर तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु अधिग्रहण किया जाना हैजिसका विस्तृत विवरण , निम्नलिखित हैं

धारा 19(1) के अंतर्गत भूमि अवाप्ति की घोषणा

क्र. सं.	खसरा संख्या	हितबद्ध व्यक्तियों का नाम	गांव का नाम	भूमि की किस्म	कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	क्षेत्रफल अवाप्त (हैक्टेयर)	भूमि का प्रकार	उ.	द.	पू.	प.
1	2075/882	1.मण्डी विकास समिति हिस्सा-पूर्ण	लूनकरणसर	बारानी 2	11.9647	0.0426	निजी	261	521	533	263

क्र. सं.	खसरा संख्या	हितबद्ध व्यक्तियों का नाम	गांव का नाम	भूमि की किस्म	कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	क्षेत्रफल अवाप्त (हैक्टेयर)	भूमि का प्रकार	उ.	द.	पू.	प.
		संस्था के लिए, (दुकान संख्या 44 से 51 कुल 8 दुकान प्रभावित है)									
2	1789/1561	राज . सरकार	लूनकरणसर	बारानी 2	24.7500	0.0975	सरकारी	774	678	874	2031/ 875
कुल						0.1402					

यह घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 के तहत इच्छुक और हितबद्ध व्यक्तियों की आपतियों की सुनवाई और जांच के बाद की जा रही है। उपरोक्त परियोजना हेतु की जा रही भूमि अवाप्ति से कोई भी व्यक्ति/परिवार विस्थापित नहीं होने से पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन योजना की आवश्यकता नहीं है। अर्जित की जा रही भूमि के नीचे स्थित खनिजों का उपर्युक्त परियोजना के निर्माण हेतु खड्डे खोदने, हटाने व निर्माण में प्रयुक्त करने के सिवाय खनन नहीं किया जावेगा।

भूमि अवाप्ति योजना (एल.ए.पी) का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस पर भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर के कार्यालय में किया जा सकता है।

आर.के.लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।